913

संख्याः — /XXXVI(1)/2013–75/2007 टी0सी0

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. श्री जे0के0 भाटिया,
अधिवक्ता, बी0–10, धवनदीप अपार्टमेन्ट्स,
6–जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली–110001
2. श्री अनुव्रत शर्मा,
अधिवक्ता, 10 बीरबल रोड, जंगपुरा
एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110014
3. श्री अभिषेक अत्रैय,
अधिवक्ता, 319–न्यू लायर्स चैम्बर, मा0
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली–1
4. सुश्री रचना श्रीवास्तव,
अधिवक्ता, कार्यालय/निवास बी0–144,
सेक्टर–14, नोयडा–201301
5. श्री सौरभ त्रिवेदी,
अधिवक्ता, फ्लैट नं0–307, गौरव अधिकारी
सहकारी आवास समिति, सी0–58/6,
सेक्टर–62, नोयडा–201306
6. श्री डी0के0 गर्ग,
अधिवक्ता, चैम्बर नं0–26, आर0के0 गर्ग
ब्लॉक, सुप्रीम कोर्ट कम्पाउण्ड, नई
दिल्ली–110001
7. श्री मुकेश गिरी,
अधिवक्ता, चैम्बर नं0–222, द्वितीय तल, न्यू
लायर्स चैम्बर्स, (एम0सी0 शीतलवट ब्लॉक),
अपोजिट सुप्रीम कोर्ट कम्पाउण्ड, भगवान
दास रोड, नई दिल्ली–110001
8. श्रीमती डी0 भारती रेड्डी,
अधिवक्ता, 219, सी0के0 दफतरी ब्लॉक, मा0
उच्चतम न्यायालय, तिलक लेन, नई
दिल्ली–110001
9. श्री राजीव नन्दा,
अधिवक्ता, एच0–127, शिवाजी पार्क,
पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026
10. श्री अभिषेक चौधरी,
अधिवक्ता, 53–लायर्स चैम्बर्स गार्डन्स,
मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली–110001

न्याय अनुभाग:1

देहरादून : दिनांक 10 अप्रैल, 2013

विषय : मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु एडवोकेट ऑन रिकार्ड–सह–स्थायी अधिवक्ता के पद पर आबद्ध किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–152/XXXVI(1)/2012–75/2007 टी0सी0 दिनांक 20–06–2012 तथा शासनादेश सं0–192/XXXVI(1)/2012–75/2007 टी0सी0 दिनांक 11–07–2012 के द्वारा आपको मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम आदेशों तक एडवोकेट ऑन रिकार्ड के पद पर आबद्ध किया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आपको एडवोकेट ऑन रिकार्ड के पद के स्थान पर **एडवोकेट ऑन रिकार्ड–सह–स्थायी अधिवक्ता** के पद पर आबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यवसायिक आबन्धन है। किसी सिविल पद पर नियुक्ति नही है। इस आबन्धन को शासन द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है और आप भी इस आबन्धन को समाप्त कर सकते है।

3– आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–122/XXXVI(1)/2013–43–एक(1)/03 दिनांक 10.04.2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमन्य होगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

क्रमश.....2

संख्याः 13। (1)/XXXVI(1)/2013–75/2007 टी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– महाधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के निजी सचिव।
4– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– ईरला चैक अनुभाग/वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव